दिनांक: 11-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध कटान करने वाले 03 फरार अभियुक्तगणो को किया गया गिरफ्तार ।

बरामदगी विवरणः-

- **15 कटडे/कटिया जिन्दा,**
- **कटान करने वाले उपकरण (02 छूरे, 01 दांव, 01 बडा तराजू, 01 बाल्टी, 03 लोहे का नुकीला सरिया आदि)**
- **50 किलो मांस**
- **05 कुन्तल खाल (नमक लगी हुई)**
- **2 ताजा खाल**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद मे गौकशी व अवैध पशु कटान की घटनाओ की रोकथाम एवं गौकशी व अवैध पशु कटान करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा दिनांक 09/09/23 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द क्षेत्र के मौ0 बैरून कोटला से **15 कटड़े/कटिया तथा अवैध कटान करने के उपकरण तथा 50 किलो मांस** को बरामद किया गया तथा मौके से अवैध कटान करने वाले- 07 ज्ञात/नामजद व 04 व्यक्ति नाम पता अज्ञात मौके से भागने मे सफल रहे । जिनके विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 484/23 धारा 269/270/272/273/332/353/429/307 भा0दा0वि0 व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 10.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा उक्त अभियोग मे वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तगणो मे से अभियुक्तगण- **(1) राजू उर्फ इसरार पुत्र रिजवान निवासी मौ0 अब्दुलहक कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर (2) रहमान उर्फ टमाटर पुत्र इरशाद नि0 बैरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर (3) सलमान पुत्र युनूस निवासी नेचलगढ़ कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को भायला फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का विवरणः- थाना स्थानीय पर प्राप्त मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मौ0 बैरून कोटला में साहिद पुत्र समीर उर्फ लीला के घेर में अवैध तरीके से पशुओ का कटान किया जा रहा था जहाँ पर पुलिस पार्टी द्वारा दबिश दी गयी तो दबिश के दौरान उक्त घेर से 15 कटडे/कटिया जिन्दा तथा 50 किलो मांस, 05 कुन्तल खाल (नमक लगी हुई), 02 ताजा खाल व कटान करने वाले उपकरण बरामद हुए तथा कटान करने वाले व्यक्ति मौके से फरार हो गये थे । जिस सम्बन्ध मे उक्त अभियोग पंजीकृत किया गया था । अभियुक्तगणो द्वारा किये जा रहे अवैध कटान बिना लाईसेन्स व सभी नियमो की अनदेखी कर किया जा रहा था व मौके पर काफी गन्दगी व पुराना सड़ा हुआ मांस व अपमिश्रित मांस पाया गया जो खाने के योग्य नही था व मानव स्वास्थ व जीवन के लिए हानिकारक था । जिससे

संकटपूर्ण रोग व संक्रमण फैलने की पूर्ण सम्भावना थी। उक्त प्रकरण पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा तीव्र कार्यवाही करते हुए तथा फरार/प्रकाश मे आये अभियुक्तगणो में से अभियुक्तगण- **(1) राजू उर्फ इसरार पुत्र रिजवान निवासी मौ0 अब्दुलहक कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर (नामजद), (2) रहमान उर्फ टमाटर पुत्र इरशाद नि0 बैरुन कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर (नामजद), (3) सलमान पुत्र युनूस निवासी नेचलगढ़ कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर (प्रकाश मे आया)** को मुखबिर की सूचना से भायला फाटक से गिरफ्तार किया गया तथा शेष अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय पुलिस द्वारा टीम गठित कर गिरफ्तारी की कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम लोग पशु पैंठ से या घूमता हुआ आवारा पशु लाकर देवबन्द मे बैरून कोटला में साहिद पुत्र शमीर के घेर में लाकर बांधते है और बिना लाईसेन्स के अवैध तरीके से पशुओ का कटान करते है। उक्त मांस को जगह-जगह बाजारो में सप्लाई कर दिया जाता है। जो मांस बच जाता है और खराब होनें लगता है उसको हम कैमिकल लगाकर रख लेते है और अगले दिन ताजा मांस मे मिलाकर बाजार मे सप्लाई कर देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. राजू उर्फ इसरार पुत्र रिजवान निवासी मौ0 अब्दुलहक कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर (नामजद)
2. रहमान उर्फ टमाटर पुत्र इरशाद नि0 बैरुन कोटला कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर (नामजद)
3. सलमान पुत्र युनूस निवासी नेचलगढ़ कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर (प्रकाश मे आया)

बरामदगी का विवरणः-

- 15 कटडे/कटिया जिन्दा,
- कटान करने वाले उपकरण (02 छूरे, 01 दांव, 01 बडा तराजू, 01 बाल्टी, 03 लोहे का नुकीला सरिया आदि)
- 50 किलो मांस
- 5 कुन्तल पुरानी खाल (नमक लगी हुई)
- 2 ताजा खाल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. कां0 235 दीपक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. कां0 1039 शोएब मिर्जा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
5. कां0 1492 कपिल राणा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
6. कां0 234 अरूण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 11-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपने ही पुत्र की हत्या करने वाला हत्यारोपी पिता मात्र 24 घण्टे मे गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 10.09.2023 को वादी श्री पारस पुण्डीर पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम पुवारका थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ने थाने आकर लिखित सूचना दी मेरे भाई तनिष्क उम्र करीब 18 वर्ष को मेरे पिता मुकेश कुमार पुत्र धर्मपाल नि0ग्राम पुवांरका थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ने छाती में चाकू मारकर हत्या कर हत्या कर दी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 312/23 धारा 302 भादवि बनाम मुकेश कुमार पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार चाहल द्वारा प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी व घटना के अनावरण हेतु निर्देश दिये गये थे। पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधाकारी द्वितिय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व मे थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा जब अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये गये तो जानकारी मिली की अभि0 घटना करने के उपरान्त जंगल में छिप गया है तथा आज रेलवे स्टेशन से कही जाने की तैयारी में है। कोतवाली देहात पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवही करते हुए अभियुक्त मुकेश उपरोक्त को अग्रसैन चौक रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि0 को गिरफ्तार कर उसकी निशा देही पर जनता रोड महावीर काम्पलेक्स के पास अध बनी दुकानो में ईटो के नीचे छुपा हुआ हत्या मे प्रयुक्त 01 चाकू आला कत्ल बरामद किया गया है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं शराब पीने का आदि हूँ, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैरे द्वारा बैंक से करीब 4 लाख रुपये का लोन लिया था तथा पत्नी के इलाज हेतू भी लोगो से कर्ज लिया था जिस कर्ज को चुकाने के लिए अपने हिस्से की 10 बीधा जमीन में से 3 बीघा जमीन मैने बेच दी थी तथा लोगो व बैंक का कर्ज चुकाया था। जमीन बेचने के कारण छोटा बेटा काफी नाराज था और अकसर गाली गलोच व मारपीट कर देता था। दिनाँक 09.09.23 को रात्रि को 09.00 बजे जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी बबली खाना बना रही थी मैने सामने तनिष्क को खाना खाता देखकर कहा की काम धाम कुछ मत करो और मेरी छाती पर बैठकर खाते रहो जिससे तनिष्क आग बबूला हो गया और मेरे साथ गाली गलौच करने लगा। उसने मुझे गाली देते हुए मेरे थप्पड मार दिया, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैने पास पडे हुए सब्जी काटने के चाकू से तनिष्क की छाती मारकर मार दिया और मै मौके से भाग गया। आज मै ट्रेन से कहीं दूर जाने की तैयारी मे था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- मुकेश कुमार पुत्र धर्मपाल नि0 ग्राम पुवांरका थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- आलाकत्ल 01 चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल कोतवाली देहात सहारनपुर
2. उ0नि0 संजय शर्मा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. है0का0 258 अजीत थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. का0 2169 राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

दिनांक: 11-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 खोखा एवं 3 जिन्दा कारतूस बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 10.09.2023 को कस्बा इस्लामनगर मैन रोड पर रोबिन पुत्र रणवीर सिह नि0 गली नं0 1, राजौरी गार्डन, थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर आल्टो कार नं0 HR76 3867 मे अपने साथी अक्षय पुत्र तेलूराम नि0 कलरी थाना सरसावा जिला सहारनपुर व पिछली सीट से अर्जुन पुत्र घनश्याम नि0 नकुड रोड थाना सरसावा जनपद सहारनपुर एक साथ नकुड़ से रामपुर जा रहे थे। तभी अर्जुन अपने दोस्तो की किसी बात से नाराज होकर गाडी से उतरकर जाने लगा, जिसे रोबिन व अक्षय द्वारा गाडी से उतरकर अर्जुन को बैठाने लगे। वहां पर भीड द्वारा ये समझा गया कि ये दोनो व्यक्ति किसी का अपहरण कर रहे है। लोगों की भीड ने रोबिन व अक्षय को पकडना चाहा जिसमे रोबिन ने भीड द्वारा अपने को घिरता देख तमंचे से वहां जमा भीड़ पर फायर कर दिया, जिसमे गोली सडक पर रिकोचिट होकर अनवार पुत्र वजीर निवासी इस्लामनगर के बाये कोहनी के पास लगी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 285/23 धारा 307/34 भादवि बनाम रोबिन व अक्षय के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेशों-निर्देशो के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड/गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में गठित टीम उ0नि0 आनन्द पोसवाल, का0 दुर्गेश, का0 दिनेश द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए कस्बा इस्लामनगर से अभियुक्त रोबिन पुत्र रणवीर सिह नि0 गली नं0 1 राजौरी गार्डन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को 01 तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्तो के विरूद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त रोबिन ने पूछताछ पर बताया कि मै आल्टो कार चला रहा था मेरा साथी अक्षय मेरे बराबर वाली सीट पर बैठा था पीछे वाली सीट पर अर्जुन बैठा था हम लोग कार से रामपुर मनिहारान जा रहे थे इस्लामनगर कस्बे मे पहुँचने पर मेरी व अक्षय की अर्जुन से किसी बात को लेकर बहस हो गयी थी गाडी से अर्जुन नाराज होकर उतरकर जाने लगा मै और अक्षय द्वारा गाडी से उतरकर अर्जुन को गाडी मे बैठाने लगे अर्जुन गाडी मे नही बैठ रहा था तो हम अर्जुन के साथ जबरदस्ती करने लगे इस्लामनगर मे भीड ने यह सोचा कि हम दोनो अर्जुन का अपहरण करके ले जा रहे है भीड ने हम लोगो को पकडना चाहा तो मैने अक्षय के कहने पर भीड को जान से मारने की धमकी देते हुए भीड पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था जिसमे गोली एक व्यक्ति को रिकोचिट होकर बाये बाजू मे लग गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.रोबिन पुत्र रणवीर सिह नि0 गली नं0 1 राजौरी गार्डन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा मय तीन कार0 जीन्दा व एक खोका कार0 315 बोर
2. 01 आल्टो कार नं0 HR76 3867

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 460/20 धारा 147/148/149/307/332/353 भादवि व 7 सीएलए थाना सरसावा, सहारनपुर

2.मु0अ0स0 452/22 धारा 427/506 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

3.मु0अ0सं0 99/19 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री आनन्द पोसवाल थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. का0 दुर्गेश थाना रापमुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. का0 दिनेश थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

दिनांक: **11-09-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व मे चैकिंग के दौरान थाना चिलकाना पुलिस द्वारा एक वारंटी **अभियुक्त नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मामचन्द कश्यप निवासी मो0 कोठीवाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बंधित वाद स0 878/19 धारा 138 एन आई एक्ट थाना सरसावा मा0 न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय जनपद सहारनपुर** को दिनाक 11.09.2023 को कस्बा सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मामचन्द कश्यप निवासी मो0 कोठीवाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 382 सतेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. हो0गा0 1855 कुलभूषण थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 11-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट मे 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा व 01 जिन्दा करातूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अवैध अस्त्र/शस्त्र रखने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.09.23 को गश्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त माजिद पुत्र नजीर निवासी मौहल्ला खेवट कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को मय एक तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के निजामुद्दीन कालोनी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 340/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम माजिद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। नूरयामिन उपरोक्त पूर्व में भी थाना नकुड़ से जेल जा चुक है। अभि0 के विरुद्व विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त माजिद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै ज्यादा पढा लिखा नही हूँ। यह तमंचा मैने राह चलते एक व्यक्ति से लोगो को रोब दिखाने के लिये खरीदा था। बेचने वाले का मैं नाम पता नही जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

माजिद पुत्र नजीर निवासी मौहल्ला खेवट कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 031/22 धारा 307 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 32/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 34/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 329/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 संदीप कुमार अधाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. का0 2555 राहुल कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. का0 2396 आकाश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. का0 71 ब्रजवीर राणा थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांकः 11-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.09.23 को मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) चतुर्थ सहारनपुर के वाद सं0 2019/23 मु0अ0सं0 58/92 धारा 392 भादवि चालानी थाना सरसावा जिला सहारनपुर मे एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त **अबला उर्फ शेरा पुत्र शेर अली निवासी ग्राम माल्हा माजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अबला उर्फ शेरा पुत्र शेर अली निवासी ग्राम माल्हा माजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री वेदपाल सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. का0 2308 प्रवीण कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांक: 11.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वारण्टी/वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पर नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 164/23 धारा 363,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 11.09.2023 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **रोहित पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर** को बड़कला फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. रोहित पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम बढेडी घोघू थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. श्री प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 610 विपिन राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांक: 11-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा **थाना प्रभारी श्री योगेश शर्मा** के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान आज दिनांक 11.09.2023 को अभियुक्त अरूण उर्फ भोला पुत्र अनिल सैनी निवासी ग्राम मझाडी थाना बेहट जिला सहारनपुर को बूढी यमुना पुल बाहद ग्राम मझाडी थाना क्षेत्र बेहट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-407/2023 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त अरूण उर्फ भोला से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मै अनपढ हूँ तथा मै नशे का आदी हूँ। घर वाले पैसे नही देते है जिस कारण मै बाहर से चरस सस्ते दामो मे लाकर आस पास बेच देता हूँ जिससे मै अपनी नशे की लत को पूरा कर लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- अरूण उर्फ भोला पुत्र अनिल सैनी निवासी ग्राम मझाडी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री मो0 कामिल थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1045 कमल किशोर थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 2403 अंकित कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक:11-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वान्छित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण एवं **प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में** दिनाँक 11.09.23 को थाना बेहट पर पंजीकृत **मु0अ0स0 353/23 धारा 379आईपीसी व 3(2) PPD ACT व 4/21 खनन अधिनियम व मु0अ0स0 387/23 धारा 379/411आईपीसी व 3(2) PPD ACT व 4/21 खनन अधिनियम** मे फरार चल रहे **अभियुक्त आजम पुत्र मुकीम निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को काँसेपुर अड्डा थाना क्षेत्र बेहट से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आजम पुत्र मुकीम निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर उम्र 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री मौ0 कामिल थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आजम:-

1. मु0अ0सं0 353/23 धारा 379 भादवि व 3(2) पीपीडी एक्ट व 4/21 खनन अधि0
2. मु0अ0सं0 387/23 धारा 379/411 भादवि व 3(2) पीपीडी एक्ट व 4/21 खनन अधि0

दिनांकः 11-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 25/08/23 की थाना मण्डी क्षेत्र में एक लडके को जान से मारने की नियत से चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई, जिसके सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0- 261/23 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में तथा चाकू से हमला करने की घटना में शामिल अभियुक्त **कैफ पुत्र नवाब निवासी गली नं0 16 पीर वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर** को गोटेशाह की चुँगी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कैफ पुत्र नवाब निवासी गली नं0 16 पीर वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर

पुलिस पार्टीः-

1. उ0नि0 धीरज सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. कां0 1830 शुभम सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः- 11.09.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 2020/- रुये बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनाक 03.07.20203 को वादी श्री गोविन्द पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम कुम्हारहेडा थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा बनाम अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर मे घुसकर ज्वैलरी व 3000/- रूपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 – 186/2023 धारा 457,380 आईपीसी पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद मे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व मे उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना सरसावा द्वारा मय हमराह फोर्स के थाना सरसावा के मु0अ0सं0 – 186/2023 धारा 457,380,411 आईपीसी में वांछित अभियुक्त र**हमान पुत्र फुरकान निवासी ग्राम कुम्हारहेडा, थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को कुम्हारहेडा अडडे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त मुकदमे में चोरी किये सामान को बेच कर अर्जित रुपयो में से बचे 2020/- रुपये बरामद हुऐ। अभियुक्त को समय से मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जायेगा।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वह अनपढ है तथा नशे का आदि है, अपनी नशे की जरूरत व खर्चे के लिये चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रहमान पुत्र फुरकान निवासी ग्राम कुम्हराहेडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये सामान को बेच कर अर्जित रुपयो में से बचे 2020/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार, थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर
2. हे0कां0 324 मनोज शर्मा, थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर
3. हे0कां0 886 रोहित कुमार, थाना सरसावा जनपद – सहारनपुर।